राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–पं. 5(31)कार्मिक/क–2/84 जयपुर, दिनांकः 27-5-2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः–उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न राजकीय सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में।

राज्य में विभिन्न सेवा नियमों के प्रावधानानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के पदों को छोड़कर सभी पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding sports person) को 2% आरक्षण देय है। अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding sports person) के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की परिभाषा निम्नानुसार है :–

उत्कृष्ट खिलाड़ीः– "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :–

(i) नीचे दी गई सारणी में स्तम्भ सं0 02 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित सारणी के स्तम्भ सं0 03 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्द्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

सारणी

क. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4.	राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6.	एशिया ओलम्पिक परिषद् से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप

जारी 2 पर

7.	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई. एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप
8.	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस. एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स / चैम्पियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्द्धा में मैडल जीता हो,

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस. एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्द्धा में मेडल जीता हो,

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्द्धा में मेडल जीता हो,

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप / पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्द्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

किसी भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा बिन्दु सं0 (ii) से (iv) में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा उक्त बिन्दुओं में उल्लिखित स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीता हो अथवा बिन्दु सं. (v) के अनुसार इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टीम / व्यक्तिशः स्पर्द्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। दस्तावेज सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि खिलाड़ी द्वारा स्पष्टतः उपर्युक्तानुसार वर्णित खेलकूद संस्था एवं प्रतियोगिता में मेडल जीता हो / भाग लिया हो, तभी उसे उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु उपयुक्त माना जाए। किसी भी खेल को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर उसी स्थिति में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग का लाभ दिया जाएगा जब वह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया से सीधे तौर पर सम्बद्ध (Affiliated) हो। किसी खेल की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य की स्टेट ओलम्पिक एसोसिएशन / स्टेट पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध हो सकता है, से सम्बद्ध होने पर भी उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा, यदि वह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया से सम्बन्धित नहीं है। संस्था का सीधे तौर पर इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बन्ध होना आवश्यक है जिसकी

जारी 3 पर.

पुष्टि इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन की वेबसाइट से अथवा संदेह होने पर सीधे पत्राचार द्वारा पुष्टि की जाए।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग हेतु अपात्र घोषित कर देने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु दो गुना तक बुलाए गए अभ्यर्थियों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा की रिक्तियों की संख्या के बराबर पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके कारण पद रिक्त रह जाते हैं एवं वास्तविक पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाते हैं।

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में खेल संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं के मध्यनजर स्पष्ट किया जाता है कि यदि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए गए दो गुना अभ्यर्थियों में गलत प्रमाण पत्र के कारण अपात्र घोषित होने के परिणामस्वरूप यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा की रिक्तियों की संख्या के बराबर पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की विज्ञापित रिक्तियों के मेरिट अनुसार शेष अभ्यर्थियों में से दोगुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाये, ताकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद रिक्त नहीं रहे।

सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में अपात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के कारण कुल विज्ञापित पदों में से कोई पद रिक्त नहीं रहे इस हेतु उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए।

27/5/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव